न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(अनिता कुमारी खटीक आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई द्वारा अध्यासित)

दावा संख्याः–106/2024 निर्णय दिनांकः– 26/2/26

1 केदार पुत्र प्रभुदास स्वामी निवासी सिरोही तह0 निवाई जिला टोंक
2 राधेश्याम पुत्र प्रभुदास स्वामी निवासी सिरोही तह0 निवाई जिला टोंक
3 रामअवतार पुत्र प्रभुदास स्वामी निवासी सिरोही तह0 निवाई जिला टोंक
4 सत्यनारायण पुत्र प्रभुदास स्वामी निवासी सिरोही तह0 निवाई जिला टोंक
5 सीताराम पुत्र प्रभुदास स्वामी निवासी सिरोही तह0 निवाई जिला टोंक
6 हनुमान पुत्र प्रभुदास स्वामी निवासी सिरोही तह0 निवाई जिला टोंक

– वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार निवाई जिला टोंक

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरस्ती इन्द्राजात
धारा 88, काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–1. श्री गिरधर सिंह तंवर वकील वादीगण
2. सरकार पैरोकार

निर्णय

वाद वादीगण संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि खाता संख्या 43 पुराने 45 में स्थित ख0न0 100, 101, 102, 89, 90, 91, 93/3, 94, 96, 97, 99 कुल किता 11 कुल रकबा 6.4877 हैक्टेयेर भूमि वाके ग्राम अगरपुरा पटवार हल्का संग्रामपुरा भुअनि ललवाडी तहसील निवाई मे स्थित है। वादीगण की जाति स्वामी है उक्त आराजीयात में पूर्व में वादीगण की बहिने का भी 2/8 हिस्सा निहित था। जिन्होने जरिये हकत्याग विलेख दिनांक 02.01.2019 को वादीगण के हक में त्याग किया था। हकत्याग विलेख में गुलाब, सन्तरा ने भी अपनी जाति स्वामी होने का उल्लेख किया था। वादीगण ने भी अपनी जाति स्वामी होने का अंकन किया है। वादीगण के पिछडी जाति प्रमाण पत्रो एव आधार कार्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेजात में भी जाति स्वामी होने का अंकन किया है उसके बावजूद भी राजस्व कर्मचारियों की गलती से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीगण की जाति स्वामी के स्थान पर बाबाजी अंकित कर दिया गया है जो त्रुटिपूर्ण व गलत है जिसे दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीगण की जाति बाबाजी के स्थान पर स्वामी होने का अंकन किया जाना विधिसंगत है। राजस्व रिकार्ड में वादीगण की जाति बाबाजी के स्थान पर स्वामी अंकन करने की दुरूस्ती किये जाने से किसी भी पक्ष को कोई क्षति कारित नही होगी।बल्कि वादीगण के समस्त दस्तावेजात में एक ही जाति का अंकन होने से किसी भी प्रकार की असुविधा से वादीगण बच सकेगे एवं दुरूस्त नही किये जाने से वादीगण को भविष्य में भंयकर समस्याओ से गुजरना पडेगा क्योकि जमाबन्दी में अलग जाति तथा अन्य दस्तावेजात में अलग जाति का अंकन होने से विक्रय पत्र केसीसी इत्यादि में अडचन कारित होगी। वाद कारण दिनांक 02.

सहायक कलक्टर
(फास्टट्रेक) निवाई

Scanned with OKEN Scanner

10.2024 को पैदा हुआ जब वादीगण ने वादग्रस्त आराजियात का रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र पंजियन करवाने हेतु जमाबन्दी की नकल निकलवायी तब वादीगण के ध्यान में आया कि जमाबन्दी में वादीगण की जाति स्वामी के स्थान पर बाबाजी होने का अंकन है जबकि अन्य दस्तावेजात में जाति स्वामी का अंकन है इस कारण से विक्रय पत्र का पंजीयन जाति की दुरूस्ती करवाये बिना उपपंजीयक ने इन्कार कर दिया। इसी वजह से वादपत्र पेश करना आवश्यक हो गया। अतः श्रीमान वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादी दुरूस्ती इन्द्राज का डिक्री किया जाकर वादपत्र के चरण सं. 1 में वर्णित भूमि की जमाबन्दी में वादीगण की जाति बाबाजी को दुरूस्ती किया जाकर उसके स्थान पर स्वामी अंकन करने के आदेश फरमाया जाना विधिसंगत एवं न्यायसंगत है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन के की गई। तहसीलदार निवाई को वादपत्र में अंकित बिन्दुओ के सम्बध में तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार निवाई से रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो निम्नानुसार है तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया है तथा वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2071–2071 जमाबन्दी 2079 (वर्ष 2079) से स्थायी ग्राम अगरपुरा के खसरा नम्बर 43 में वादीगण केदार, राधेश्याम, रामअवतार, सत्यनारायण, सीताराम, हनुमान पिता प्रभुदास निवासी सिरोही की जाति बाबाजी दर्ज रेकार्ड है। परन्तु वादीगण द्वारा प्रस्तुत हक त्याग पत्र की फोटोप्रति में वादीगण एवं इनकी बहनों गुलाब, सन्तरा, की जाति स्वामी दर्ज है। एवं तहसीलदार ने वादपत्र के बिन्दु सं. 2ता 6 स्वीकार किये है। जिसमे वादीगण राधेश्याम, सत्यनारायण एवं सीताराम पुत्र प्रभुदास की जाति स्वामी अंकित है ग्राम पंचायत सिरोही के प्रशासक द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र में भी वादीगण की जाति स्वामी हैं इसके अतिरिक्त आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, ग्राम पंचायत सिरोही द्वारा जारी किये गये पट्टा , मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जनआधार कार्ड, राशनकार्ड में वादीगण की जाति स्वामी दर्ज है। तहसीलदार निवाई ने अपनी रिपोर्ट में वादीगण की जाति शुद्व करने की अभिशंषा कि गई है।

वकील वादी की ओर से साक्ष्य हेतु शपथ पत्र पी. डबलु –1 राधेश्याम पुत्र प्रभुदास स्वामी निवासी सिरोही तह0 निवाई जिला टोंक का पेश किया है
।

वकील वादी की बहस एकतरफा सुनी गयी। बहस में प्रस्तुत वाद का दोहरान करते हुये वकील वादी ने बताया कि खाता संख्या 43 पुराने 45 में स्थित ख0न0 100, 101, 102, 89, 90, 91, 93/3, 94, 96, 97, 99 कुल किता 11 कुल रकबा 6.4877 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम अगरपुरा पटवार हल्का संग्रामपुरा भुअनि ललवाडी तहसील निवाई मे स्थित है। वादीगण की जाति स्वामी है उक्त आराजीयात में पूर्व में वादीगण की बहिने का भी 2/8 हिस्सा निहित था। जिन्होने जरिये हकत्याग विलेख दिनांक 02.01.2019 को वादीगण के हक में त्याग किया था। हकत्याग विलेख में गुलाब, सन्तरा ने भी अपनी जाति स्वामी होने का उल्लेख किया था। वादीगण ने भी अपनी जाति स्वामी होने का अंकन किया है। वादीगण के

सहायक कलक्टर (...) निवाई

पिछडी जाति प्रमाण पत्रो एव आधार कार्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेजात में भी जाति स्वामी होने का अंकन किया है उसके बावजूद भी राजस्व कर्मचारियों की गलती से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीगण की जाति स्वामी के स्थान पर बाबाजी अंकित कर दिया गया है जो त्रुटिपूर्ण व गलत है वादीगण ने अपनी जाति स्वामी होने के समर्थन में आधार कार्ड, बिजली बिल मूल निवास प्रमाण पत्र पिछडी जाति का प्रमाण पत्र भी पेश किया है अतः श्रीमान वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादी दुरूस्ती इन्द्राज का डिक्री किया जाकर वादपत्र के चरण सं. 1 में वर्णित भूमि की जमाबन्दी में वादीगण की जाति बाबाजी को दुरूस्ती किया जाकर उसके स्थान पर स्वामी अंकन करने के आदेश फरमाया जाना विधिसंगत एवं न्यायासंगत है।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तथा बहस पर चिन्तन मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण की जाति वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2071–2071 जमाबन्दी 2079 (वर्ष 2079) से स्थायी ग्राम अगरपुरा के खसरा नम्बर 43 में वादीगण केदार, राधेश्याम, रामअवतार, सत्यनारायण, सीताराम, हनुमान पिता प्रभुदास निवासी सिरोही की जाति बाबाजी दर्ज रेकार्ड है। तहसीलदार निवाई से प्राप्त रिपोर्ट में भी वादीगण की जाति शुद्व करने की अभिशंषा की गई है तथा वादीगण ने अपनी जाति के समर्थन में पेश आधार कार्ड, बिजली बिल मूल निवास प्रमाण पत्र पिछडी जाति का प्रमाण पत्र में भी वादीगण की जाति स्वामी ही अंकित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय वाद वादीगण को स्वीकार करना उचित समझता है, अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तहसीलदार निवाई को आदेश दिये जाते है कि खाता संख्या 43 पुराने 45 में स्थित ख0न0 100, 101, 102, 89, 90, 91, 93/3, 94, 96, 97, 99 कुल किता 11 कुल रकबा 6.4877 हैक्टेयेर भूमि वाके ग्राम अगरपुरा पटवार हल्का संग्रामपुरा भु.अ.नि ललवाडी तहसील निवाई मे वादीगण की जाति बाबाजी के स्थान पर स्वामी शुद्व कियें जाने के आदेश दिये जाते हैं

इसीके अनुरूप तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकोर्ड में भी तदानुसार अंकन किया जावें।

पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.02.26 को सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक), निवाई

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(अनिता कुमारी खटीक, आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई द्वारा अध्यासित)

(डिक्री मुकदमा इब्तदाई)

दावा संख्याः— 106 / 2024

निर्णय दिनांकः—

उनवान

केदार बनाम तहसीलदार वगै0

दावा बाबत दुरस्ती इन्दाजात

धारा 88, काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू त्रिलोक चन्द मीना ब हाजरी श्री गिरधर सिंह तंवर वकील वादी पैरोकार सरकार प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खाता संख्या 43 पुराने 45 में स्थित ख0न0 100, 101, 102, 89, 90, 91, 93 / 3, 94, 96, 97, 99 कुल किता 11 कुल रकबा 6.4877 हैक्टेयेर भूमि वाके ग्राम अगरपुरा पटवार हल्का संग्रामपुरा भु.अ.नि ललवाडी तहसील निवाई मे वादीगण की जाति बाबाजी के स्थान पर स्वामी शुद्व कियें जाने के आदेश दिये जाते हैं

इसीके अनुरूप तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकोर्ड में भी तद्नुसार अंकन किया जावें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26/2/26...को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक), निवाई

Scanned with OKEN Scanner